भारत में राज्य बजट में पारदर्शिता : मुख्य परिणाम

कुल बजट पारदर्शिता अंक

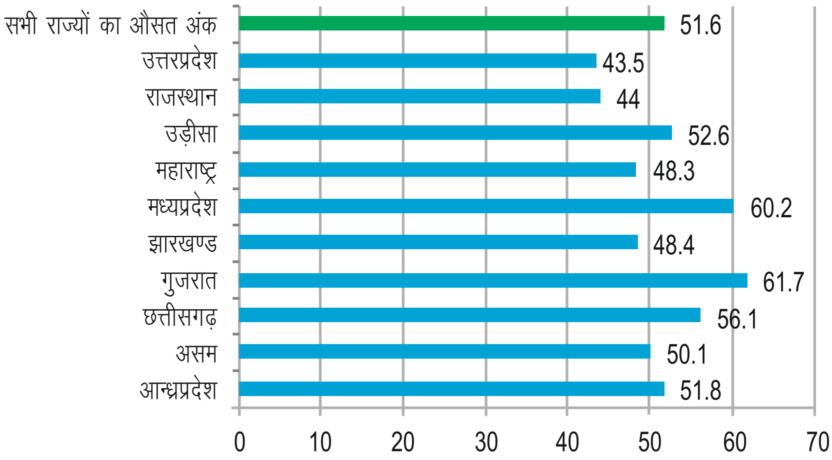

पारदर्शिता के मानदंड	आन्ध्रप्रदेश	असम	छत्तीसगढ़	गुजरात	झारखण्ड	मध्यप्रदेश	महाराष्ट्र	उड़ीसा	राजस्थान	उत्तरप्रदेश	औसत अंक
	(औसत पारदर्शिता अंक) (%)										
बजट से संबंधित दस्तावेज़ों की उपलब्धता	68	67	65	87	72	68	65	68	80	64	70
सूचनाओं की पूर्णता	75	74	81	85	74	81	77	75	56	69	75
सूचनाओं की समझ को आसान बनाना	51	50	39	65	64	35	70	47	71	42	53
सूचनाओं की समयबद्धता	59	51	77	77	53	84	53	69	25	33	58
अंकेक्षण तथा कार्य निष्पादन मूल्यांकन	39	29	55	39	23	67	35	31	35	35	39
विधायिका द्वारा परीक्षण के अवसर	50	55	43	55	38	62	41	60	36	36	47
वंचित वर्गों के लिये बजट से संबंधित प्रकिया	49	44	71	63	37	70	29	43	30	40	48
वित्तीय विकेन्द्रीकरण से संबंधित बजट की प्रकिया	24	31	19	24	27	14	17	29	19	29	23
कुल बजट पारदर्शिता अंक	**51.8**	**50.1**	**56.1**	**61.7**	**48.4**	**60.2**	**48.3**	**52.6**	**44.0**	**43.5**	**51.6**

बजट पारदर्शिता का अर्थ

सरकारों के बजट के संदर्भ में पारदर्शिता को बजट में दी गई सूचनाओं तक जनता की पहुँच के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस प्रकार की जानकारी से जनता में बजट से संबंधित सरकार के फ़ैसलों की समझ बनती है, बजट की प्रक्रिया में जनभागीदारी के रास्ते खुलते हैं तथा सरकार को बजट के प्रति जवाबदेह बनाने का आधार बनता है।

भारत में राज्य बजट में पारदर्शिता का अध्ययन

इस अध्ययन में चुने गए राज्यों में राज्य स्तर पर बजट में पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित किया गया है; इस अध्ययन में ज़िला या ज़िले से नीचे के स्तर की बजट प्रक्रिया शामिल नहीं की गयी है।

राज्यों के बजट की पारदर्शिता का अध्ययन करते समय प्रत्येक राज्य की विशिष्टताओं तथा विशेष परिस्थितियों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस अध्ययन में ऐसे आठ मानदंडों को चुना गया है जो सभी राज्यों में आवश्यक रूप से लागू होते हैं, हालांकि ये राज्यों के विशेष परिस्थितियों की दृष्टि से अपर्याप्त हो सकते हैं।

अध्ययन में औसत बजट पारदर्शिता अंक निकालते समय बजट पारदर्शिता के सभी आठ मानदंडों को समान महत्त्व (भार) दिया है, साथ ही सभी राज्यों का औसत अंक निकालने के लिए भी सभी 10 राज्यों को समान महत्त्व (भार) का माना गया है।

अधिकांश पारदर्शिता मानदंडों के मामले में यह अध्ययन आदर्श स्थितियों तथा प्रक्रियाओं को लेता है, जिन्हें बजट पारदर्शिता का बेंचमार्क माना जा सकता है, तथा केवल वर्तमान में अपनायी जा रही प्रक्रियाओं तक ही सीमित नहीं रहता है। इस अध्ययन में विधायकों, मीडिया तथा आम जनता

के बजट के महत्त्वपूर्ण साझेदार या भागीदार (स्टेकहोल्डर) होने पर ज़ोर दिया गया है, साथ ही यह अध्ययन समाज के वंचित वर्गों के लिए अपनाये गए बजट रणनीति तथा विकेंद्रीकरण से संबंधित बजट की ओर ध्यान आकर्षित करता है।

इस अध्ययन के लिए एक प्रश्नावली द्वारा अगस्त – दिसंबर 2010 में, राज्य के **वित्तीय वर्ष 2009–10** के बजट से संबंधित सूचनायें इकट्ठा की गई।

भारत में राज्य बजट में पारदर्शिता

(1) **बजट से संबंधित दस्तावेज़ों, रिपोर्टों, तथा वक्तव्यों की उपलब्धता** बजट पारदर्शिता का पहला मानदंड है, जिसमें राज्य के बजट दस्तावेज़ों तथा अन्य संबंधित दस्तावेज़ों की उपलब्धता की जांच करते हैं। राज्य सरकार को संवैधानिक आवश्यकताओं तथा आयोजना, अंकेक्षण (ऑडिट), कार्य आंकलन, वंचित वर्गों के लिए बजट तथा विकेंद्रीकरण की दृष्टि से कई दस्तावेज़ निकालने होते हैं तथा उन्हें विभिन्न साझेदारों तक पहुँचाना होता है।

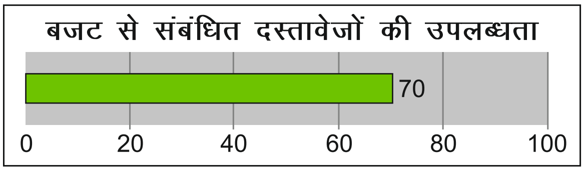

सकारात्मक

- अध्ययन में शामिल राज्य बजट से संबंधित अधिकांश दस्तावेज़ निकालते हैं, हालांकि इनमें से कुछ उनके आंतरिक उपयोग के लिए ही होते हैं, जबकि कुछ बजट दस्तावेज़ निकाले ही नहीं जा रहे हैं।
- अधिकांश राज्य सरकारें बजट दस्तावेजों को विधायकों तक पहुचाने का प्रयास करती हैं।
- छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा जैसे कुछ राज्य अधिकांश बजट दस्तवेज़ अपने वेबसाइट पर रखते हैं। छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग के वेबसाइट पर वर्ष 2001–02 से अब तक हर वर्ष के बजट दस्तावेज़ उपलब्ध हैं।

नकारात्मक

- अध्ययन में शामिल कई राज्य 'बजट दस्तावेज़ों की कुंजी' (key to budget documents), राज्य बजट के आंकलन करने वाले दस्तावेज़ (वर्ष के दौरान तथा अंत में निकाले गए रिपोर्ट), महिला संघटक योजना या जेण्डर बजटिंग, शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों को देय धन के लिए अलग दस्तावेज़ तथा पंचवर्षीय योजनाओं का मध्यकालिक आंकलन रिपोर्ट नहीं निकालते हैं।
- कई राज्यों में योजना आयोग या वित्त आयोग को दिये जाने वाले मांग पत्र या मेमोरेंडम सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं। महाराष्ट्र में राज्य की 11 वीं पंचवर्षीय योजना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
- उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र तथा असम जैसे राज्यों को बजट से जुड़े कई अतिरिक्त बजट दस्तावेज़ों को निकालने के प्रयास करने होंगे।
- अधिकांश राज्यों को अपने बजट दस्तावेज़ (वर्तमान तथा पूर्व वर्षों के) वेबसाइट पर रखने की आवश्यकता है साथ ही सभी राज्यों को बजट दस्तावेज़ों को भागीदारों तक पहुँचाने के लिए और प्रयास करने की आवश्यकता है।

(2) **सूचनाओं की पूर्णता** बजट पारदर्शिता का दूसरा मानदंड है, जिसमें यह देखा जाता है की बजट तथा संबंधित दस्तावेज़ों में दी गई सूचनायें राज्य की वित्तीय स्थिति का पूरी तस्वीर दिखाती हैं या नहीं। इसमें यह जाँच की जाती है कि उपलब्ध दस्तावेज़ विभिन्न प्रकार की सूचनायें जैसे कर माफी के कारण सरकार को हो रहे कर के नुक़सान की मात्रा, संघीय (केन्द्रीय) बजट से उपलब्ध धन, जो राज्य बजट में शामिल नहीं किए जाते हैं, की पूरी जानकारी; विकास योजनाओं के लिए बजट राशि तथा वास्तविक (लेखा) खर्च का विवरण; राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार तथा केन्द्रीय संस्थाओं (जैसे योजना आयोग तथा वित्त आयोग) को दिये गए मेमोरेंडम; तथा राज्य सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक वित्त से संबंधित संघीय सरकार तथा अन्य संस्थाओं/कंपनियों के साथ किए गए समझौते की पूरी जानकारी देते हैं या नहीं।

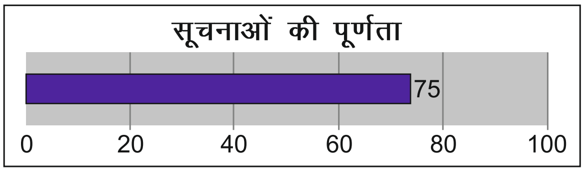

सकारात्मक

- सभी राज्यों में बजट दस्तावेज़ सरकार के वित्तीय वर्ष 2009–10 के खर्च और आय की पूरी सूचना देते हैं। साथ ही बजट दस्तावेज़ वर्ष 2008–09 तथा 2007–08 के आय तथा व्यय की सूचना भी देते हैं। राज्स्थान को छोड़कर, सभी राज्यों में बजट दस्तावेज़ सरकार के विभिन्न प्रशासनिक इकाईयों (विभागों) के लिए आय तथा व्यय का ब्यौरा उपलब्ध कराते हैं।
- केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को बजट में प्राप्त हो रहे संसांधनों जैसे सहातार्थ अनुदान, केन्द्रीय करों में हिस्सा तथा केन्द्र से प्राप्त कर्ज का पूरा ब्यौरा राज्यों के बजट में उपलब्ध होता है।
- बजट दस्तावेज़ वर्ष 2009–10 के आरंभ तथा अंत में सरकार के क़र्ज़ों तथा क़र्ज़ के स्रोत का पूरा ब्यौरा भी देते हैं।

- अधिकांश राज्यों के बजट दस्तावेज़ सरकारी क्षेत्र की इकाईयों तथा सरकार के बीच हुए लेन देन का विवरण भी देते हैं।
- अधिकांश राज्यों में सरकारें राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत आवश्यक दस्तावेज़ निकालती हैं।

नकारात्मक

- मध्यप्रदेश तथा उड़ीसा को छोड़कर बजट दस्तावेज़ सरकार को केंद्र सरकार तथा विदेशी संस्थाओं से मिले ऐसे धन, जो राज्य बजट के बाहर होते हैं (जैसे मनरेगा, सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आदि), का पूरा विवरण नहीं देते हैं।
- किसी भी राज्य में बजट दस्तावेज़ कर माफी के कारण सरकार को कर में हुये नुकसान (जैसे विशेष आर्थिक क्षेत्र के कारण) के आँकड़े नहीं देते हैं।
- अधिकांश राज्यों में बजट दस्तावेज़ पिछले वर्ष के बजट घोषणाओं / प्रस्तावों के क्रियान्वन की पूरी जानकारी नहीं देते हैं।
- कई राज्यों में बजट दस्तावेज़ सरकार के वित्तीय तथा भौतिक संपत्तियों का पूरा विवरण नहीं देते हैं, सरकार की देनदारियों के मामले में भी यही स्थिति है।

(3) **सूचनाओं की समझ को आसान बनाना**, पारदर्शिता के एक मानदंड के रूप में, यह बताता है कि बजट दस्तावेज़ों में दी गई सूचनायें कितनी आसानी से समझी जा सकती हैं। इस मानदंड से संबंधित प्रश्नों से यह जानने की कोशिश की गई है की क्या बजट दस्तावेज़ों में उपलब्ध सूचनायें आसानी से समझने योग्य हैं तथा क्या उनमें सरकार के नीतिगत लक्ष्यों तथा प्राथमिकताओं की पूरी जानकारी है।

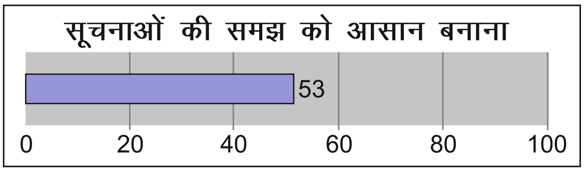

सकारात्मक

- सभी राज्यों के मामलें में बजट भाषण आसानी से समझ आने योग्य हैं तथा इन में नीतिगत लक्ष्यों तथा प्राथमिकताओं की जानकारी दी गयी है।
- राज्यों के पंचवर्षीय तथा वार्षिक आयोजना दस्तावेज़, जहां भी उपलब्ध हैं, सरकार के बजट तथा नीतिगत प्राथमिकताओं को जानकारी देते हैं।

नकारात्मक

- कई राज्य सरकारें 'बजट दस्तावेज़ों की कुंजी' नामक दस्तावेज़ भी प्रकाशित नहीं करती है, यह उपयोगी दस्तावेज़ हैं।
- बजट भाषण एवं बजट हाईलाइट (जो सभी राज्यों में उपलब्ध नहीं है) के अलावा कोई भी बजट दस्तावेज बजट को गैर तकनीकी भाषण में पेश नही करता है।
- बजट भाषण, वित्त सचिव का मेमोरेण्डम तथा FRBM के अन्तर्गत निकाले जा रहे दस्तावेजों को छोड़कर कोई बजट दस्तावेज नीतिगत मुद्दों की चर्चा नहीं करते हैं।

(4) **सूचनाओं की समयबद्धता** बजट में पारदर्शिता का चौथा मानदंड है जिसमें यह देखने की कोशिश की गयी है की सभी दस्तावेज़ समय पर उपलब्ध हो जाते हैं या नहीं। इस मानदंड से संबंधित कुछ प्रश्नों में यह भी देखा गया है की क्या राजकोष (ट्रेजरी) का कम्प्यूटरीकरण हुआ है तथा उस से संबंधित सूचना जनता तक पहुँचाने के लिए क्या उसे इंटरनेट से जोड़ा गया है।

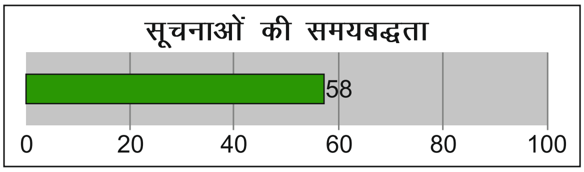

सकारात्मक

- अधिकांश राज्यों में राज्य बजट बनाने तथा उसे प्रस्तुत करने में सरकारें एक बजट कैलेंडर का पालन करती हैं।
- अध्ययन में शामिल लगभग सभी राज्यों में राज्य सरकार पूरक बजट के लिए विधायिका की स्वीकृति समय पर लेती हैं।
- गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा तथा झारखण्ड में राजकोष को इंटरनेट से जोड़ा गया है।
- मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात तथा उड़ीसा, इस मानदण्ड के अनुसार, अध्ययन में शामिल राज्यों में काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं।

नकारात्मक

- अधिकांश राज्यों में सरकार द्वारा जारी बजट सर्कुलर तथा बजट कैलेंडर को सभी भागीदारों को उपलब्ध नहीं कराया जाता है।
- कुछ राज्यों में राजकोष को इंटरनेट से नहीं जोड़ा गया है तथा उन राज्यों में जहां इसे इन्टरनेट से जोड़ा गया है वहां भी प्रत्येक माह सरकार की आय तथा व्यय का ब्यौरा समय पर उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया में काफी सुधार की गुंजाइश है।
- राजस्थान, उत्तरप्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों को इस मानदण्ड के अनुसार काफी सुधार करने की आवश्यकता हैं।

(5) **अंकेक्षण तथा कार्य निष्पादन मूल्यांकन** पाँचवा मानदंड है, जिसके आधार पर राज्य बजट के अंकेक्षण (ऑडिट) (भारत के नियंत्रक – महालेखा परीक्षक द्वारा) तथा राज्य सरकार द्वारा अपने कार्य निष्पादन का मूल्यांकन से संबंधित सूचनाओं को जाँचने की कोशिश की गयी है। इस मानदंड से संबंधित प्रश्नों द्वारा यह देखा गया है की राज्य बजट का अंकेक्षण नियमित रूप से होता है या नहीं; राज्य सरकार अपने बजट में बजट पूर्व वर्ष से पहले के वर्ष के अंकेक्षण के बाद के अंतिम आँकड़े देती है या यह सिर्फ प्रारम्भिक आँकड़े होते हैं; क्या राज्य सरकार अपने कार्य निष्पादन का मूल्यांकन रिपोर्ट नियमित रूप से निकालती है; और क्या राज्य सरकार आउटकम बजट बनाती है।

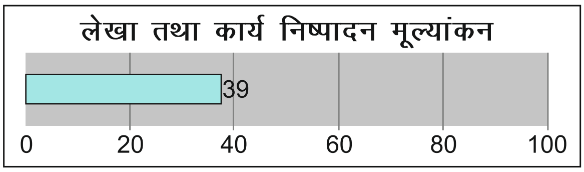

सकारात्मक

- झारखण्ड को छोड़कर, सभी राज्यों में भारत के नियंत्रक – महालेख परीक्षक के राज्य सरकारों से संबंधित ऑडिट तथा लेखा के सभी रिपोर्ट पिछले तीन वर्षों में लगातार सार्वजनिक किये गये हैं।
- राजस्थान तथा झारखण्ड को छोड़कर सभी राज्य सरकार आउटकम बजट बनाती हैं।
- इस मानदण्ड के अनुसार, झारखण्ड तथा छत्तीसगढ़ अन्य चुने हुये राज्यों से अच्छा प्रदर्शन करते हैं।

नकारात्मक

- किसी भी राज्य में लेखा परीक्षण में किये टिप्पणियों (जैसे भारत के नियंत्रक – महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां) पर सरकार द्वारा कार्यवाही रिपोर्ट पर नहीं निकाली जाती है।
- मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान को छोड़कर कोई राज्य सरकार कोई बजट आंकलन रिपोर्ट, जैसे वर्ष के मध्य में, वर्ष के दौरान या अन्त में रिपोर्ट नहीं निकालती।
- मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा झारखण्ड को छोड़कर, राज्य सरकारें वर्ष के दौरान किये गये अनुबंधों (MOUs) की सूचना वाला कोई दस्तावेज़ नहीं निकालती हैं।

(6) **विधायिका द्वारा परीक्षण के अवसर** पारदर्शिता का एक मानदंड है, जो राज्य की विधायिका द्वारा बजट का आंकलन तथा सरकार को उत्तरदायी बनाने के संभावनाओं को जांचता है। इसमें यह देखा गया है कि क्या विधायकों को सभी दस्तावेज़ उपलब्ध करवाये जाते हैं; कौन से बजट दस्तावेज़ विधायिका की जांच के लिये उपलब्ध हैं; विधान सभा में बजट पर बहस के लिये कितना समय मिलता है; क्या विधायकों को सरकार द्वारा किये गये सार्वजनिक वित्त से संबंधित अनुबंधों की जानकारी दी जाती है; तथा क्या बजट से संबंधित विधान सभा की समितियां कितनी सक्रिय हैं।

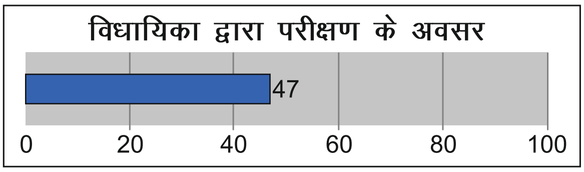

सकारात्मक

- अधिकांश राज्यों में राज्य सरकारें विधायकों को बजट दस्तावेज नये वित्तीय वर्ष शुरू होने के लगभग 1 माह पूर्व उपलब्ध करवाती हैं।
- अध्ययन में शामिल सभी राज्यों में राज्य विधान सभा में राज्य सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक – महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट को देखने के लिये समिति बनी हुई है।
- उड़ीसा में विभिन्न विभागों के बजट को देखने के लिये विधानसभा में विभागों से जुड़ी समितियां बनी हैं।
- अधिकांश राज्यों में राज्य कार्यकारिणी धन को एक मद से दूसरे मद या एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानान्तरित करने से पूर्व विधायिका की अनुमति प्राप्त करती है।
- इस मानदण्ड के अनुसार गुजरात, उड़ीसा तथा मध्यप्रदेश चुने हुये अन्य राज्यों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

नकारात्मक

- अधिकांश राज्यों में राज्य विधानसभा में विभिन्न विभागों के बजट प्रावधानों को देखने के लिये उनसे संबंधित विधायिका समिति नहीं बनी हैं।
- कई राज्यों में राज्य सरकारें वर्ष के दौरान किये गये अनुबंधों (MOUs) की सूचना वाला कोई दस्तावेज़ विधायकों को उपलब्ध नहीं करवाती हैं।
- अधिकांश राज्यों में राज्य सरकारें विधायकों को ऐसा कोई दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं करवाती हैं जिसमें ऐसे धन, जो राज्य के राजकोष में नहीं आते हैं, का पूरा विवरण दिया गया हो।
- अधिकांश राज्यों में कार्यकारिणी योजना आयोग या वित्त आयोग को दिये जाने वाले मांग पत्र या मेमोरेंडम देने से पूर्व विधायकों के साथ कोई विमर्श नहीं करती हैं। आंध्रप्रदेश तथा उड़ीसा इसके अपवाद है जहां वित्त आयोग को ममोरेण्डम देने पूर्व विधायकों के साथ विचार विमर्श किया गया।

(7) वंचित वर्गों के लिये बजट से संबंधित प्रक्रिया, बजट पारदर्शिता का सातवां मानदण्ड, सभी राज्य सरकारों द्वारा समाज से वंचित वर्गों जैसे महिलाओं (जेण्डर बजटिंग), अनुसूचित जातियों (अनुसूचित जाति उपयोजना) तथा अनुसूचित जन जातियों (अनुसूचित जन जाति उपयोजना) के लिये बजट प्रावधानों को बजट में सार्वजनिक करने की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करता है।

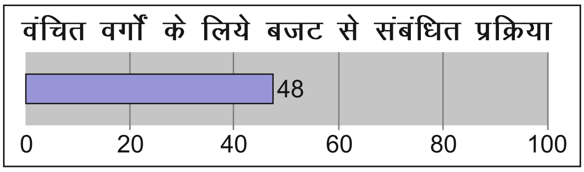

सकारात्मक

- कई राज्यों जैसे गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा आंध्रप्रदेश में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति उपयोजना के संबंध में, कई साझेदारों से, पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजना बनाने की प्रक्रिया में विमर्श किया जाता है।
- कई राज्य सरकारें अनुसूचित जाति उपयोजना तथा अनुसूचित जन जाति उपयोजना से संबंधित सूचना राज्य के वार्षिक योजना में उपलब्ध करवाती हैं।
- कुछ राज्यों में बजट दस्तावेज कुछ विभागों/मुख्य शीर्ष के अंतर्गत अनुसूचित जाति उपयोजना तथा अनुसूचित जन जाति उपयोजना के लिये आवंटित राशि की जानकारी देते हैं।
- कुछ राज्यों में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना तथा अनुसूचित जन जाति उपयोजना कैसे लागू किया जा रहा है इसका मूल्यांकन किया जाता है।

नकारात्मक

- हालांकि अधिकांश राज्यों में बजट दस्तावेज अनुसूचित जाति उपयोजना तथा अनुसूचित जन जाति उपयोजना को आवंटन तथा खर्च दिखाते हैं, लेकिन इनके आधारों की चर्चा नहीं करते हैं।
- अधिकांश राज्यों में बजट दस्तावेज महिला संघटक आयोजना/जेण्डर बजट पर कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराते हैं। मध्यप्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ तथा असम जेण्डर बजट दस्तावेज़ निकालते हैं।
- लेकिन जिन राज्यों में जेण्डर बजट दस्तावेज़ निकाले जा रहे हैं, वहां भी विभिन्न विभागों द्वारा जेण्डर बजट में दिखाई गई राशि के आधार स्पष्ट नहीं हैं।

(8) वित्तीय विकेन्द्रीकरण से संबंधित बजट की प्रक्रिया को बजट पारदर्शिता का आठवां मानदण्ड माना गया है, जो इसकी जांच करता है कि क्या राज्य सरकार पंचायती राज इकाईयों तथा शहरी निकायों को उपलब्ध करवाये जा रहे धन से संबंधित बजट प्रक्रिया पूरी करती है। यह इस बात पर जोर देता है कि ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे धन की पूरी जानकारी बजट में उपलब्ध होनी चाहिये। यह इसकी जांच भर करता है कि राज्य बजट के आवंटन तथा खर्चों का ज़िलेवार विवरण बजट दस्तावेजों में है या नहीं।

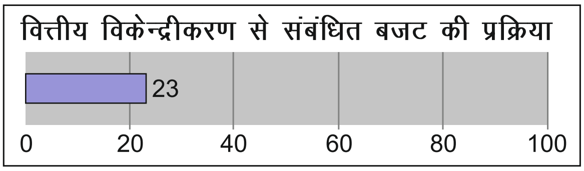

सकारात्मक

- कुछ राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा में पिछले दशक में राज्य सरकार ने राज्य वित्त आयोग का गठन समय पर किया है।
- अधिकांश राज्यों में, राज्य वित्त आयोग अपनी सिफारिशें देने से पहले विभिन्न भागीदारों, जैसे पंचायती राज इकाईयों तथा शहरी निकायों, विधायकों, तथा सामाजिक संस्थाओं से विमर्श करता है।

नकारात्मक

- अधिकांश चुने हुये राज्यों में राज्य सरकारें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर कार्यवाही रिपोर्ट नहीं देती हैं या फिर जहां भी देती हैं वहां ऐसा काफी देर से होता है।
- अधिकांश राज्यों में राज्य बजट बनाने के प्रक्रिया में ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से विमर्श नहीं किया जाता हैं।
- किसी भी चुने हुये राज्य में बजट दस्तावेज़ ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे धन की पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाते हैं।
- किसी भी राज्य में बजट दस्तावेज़ राज्य के बजट के आवंटन तथा खर्चों का ज़िलेवार विवरण बजट दस्तावेज़ों में नहीं देते हैं।

निष्कर्ष

देश में राज्यों के बजट में पारदर्शिता का अध्ययन में यह दिखाता है कि सभी राज्य सरकारों को बजट में पारदर्शिता बढ़ाने के लिये कई कदम उठाने की आवश्यकता है। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव निम्न हैं।

- वर्तमान वर्ष तथा पिछले वर्षों के सभी बजट दस्तावेज़ों को वेबसाइट पर रखना।
- इन दस्तावेज़ों को सभी साझेदारों तक पहुंचाने के लिये उचित प्रयास करना (जैसे ये दस्तावेज़ जिला मुख्यालयों पर उपलब्ध करवाना)।
- पिछले वर्ष की बजट घोषणाओं / प्रस्तावों के क्रियान्वन की पूरी जानकारी देते हुये एक अलग दस्तावेज़ निकालना।
- **'बजट दस्तावेज़ों की कुंजी'** नामक दस्तावेज़ भी प्रकाशित करना, जिससे सभी बजट दस्तावेज़ों को समझने में आसानी हो।
- सरकार को केंद्र सरकार तथा विदेशी संस्थाओं से मिले ऐसे धन, जो राज्य बजट के बाहर होते हैं (जैसे मनरेगा, सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आदि), का पूरा विवरण बजट दस्तावेज़ों में देना।
- कर माफी के कारण सरकार को कर में हुये नुकसान (जैसे विशेष आर्थिक क्षेत्र के कारण) के विस्तृत आँकड़े बजट दस्तावेजों में उपलब्ध करवाना।
- राजकोष में प्रत्येक माह आय तथा व्यय का ब्यौरा समय पर उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया में सुधार करना।
- भारत के नियंत्रक – महालेखा परीक्षक द्वारा अंकेक्षण में किये टिप्पणियों पर कार्यवाही रिपोर्ट दिया जाना।
- योजना आयोग या वित्त आयोग को दिये जाने वाले मांग पत्र या मेमोरंडम देने से पूर्व विधायकों के साथ विमर्श करना।
- विभिन्न विभागों द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना, अनुसूचित जन जाति उपयोजना तथा जेण्डर बजट में दिखाई गई राशि के आधार को स्पष्ट रूप से बताना।
- बजट दस्तावेज़ में ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे धन की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाना।
- राज्य के बजट के आवंटन तथा खर्चों का ज़िलेवार विवरण बजट दस्तावेजों में देना।

सेंटर फॉर बजट एण्ड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी, नई दिल्ली

सहायक संस्थायें

- **बजट अध्ययन राजस्थान केंद्र, जयपुर**
- सेंटर फॉर रूरल स्टडीज़ एण्ड डेवलपमेन्ट, आंध्र प्रदेश
- सेंटर फॉर यूथ एण्ड डेवलपमेन्ट, उड़ीसा
- ग्रामीण डेवलपमेन्ट सर्विसेज़, उत्तरप्रदेश
- लाइफ एज्यूकेशन एण्ड डेवलपमेन्ट सपोर्ट, झारखण्ड
- नॉर्थ ईस्ट नेटवर्क, असम
- पाथेय, गुजरात
- समर्थन, महाराष्ट्र
- संकेत डेवलपमेन्ट ग्रुप, मध्यप्रदेश

आर्थिक सहायता

- फोर्ड फाउन्डेशन
- इन्टरनेशनल बजट पार्टनरशिप
- इन्टरनेशनल डवलपमेन्ट रिसर्च सेन्टर
- ऑक्सफाम इण्डिया

सम्पर्क सूत्र

बजट अध्ययन राजस्थान केंद्र, जयपुर

ईमेलः info@barcjaipur.org

वेबसाईटः www.barcjaipur.com

सेंटर फॉर बजट एण्ड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी, नई दिल्ली

ईमेलः info@cbgiand,org

वेबसाईटः www.cbgaindia.org